अध्याय 14

अपीलों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और प्रसंस्करण तथा अपीलीय न्यायाधिकरण में हाइब्रिड मोड में कार्यवाही का संचालन

नियम 115 : अपीलों और आवेदनों आदि की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और प्रसंस्करण

(1) पूर्वगामी अध्याय 1 से अध्याय 14 में किसी बात के होते हुए भी, अन्यथा उपबंधित के सिवाय जब तक *अध्यक्ष के आदेश द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाए,

(2) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष फाइल की जाने वाली प्रत्येक अपील या आवेदन को जीएसटीएटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किया जाएगा।

(3) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष फाइल सभी अपीलों और आवेदनों की जीएसटीएटी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जांच और कार्रवाई की जाएगी और सभी नोटिस, संचार और सम्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाएंगे और उक्त पोर्टल पर दिए गए ढंग से हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

(4) सभी फाइल किए गए उत्तर और दस्तावेज, जिन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है या हो सकता है, या तो उक्त न्यायाधिकरण के निदेश पर या अन्यथा, हस्ताक्षरित, सत्यापित किए जाएंगे और जीएसटीएटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किए जाएंगे।

(5) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां जीएसटीएटी पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएंगी और ऐसी सभी कार्यवाहियां उक्त पोर्टल पर रिकार्ड की जाएंगी।

(6) किसी अपील के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण या उसकी किसी पीठ द्वारा पारित अंतिम आदेश का सारांश इस प्रयोजन के लिए सीजीएसटी नियमों में निर्दिष्ट प्ररूप में अपलोड किया जाएगा।

(7) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सभी सुनवाइयां या तो भौतिक रूप में या अध्यक्ष की अनुमति पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयोजित की जा सकती हैं।